328

Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण निग. 1220 - III/16

1. शंकरप्रसाद राठौर पुत्र श्री गोपाल राठौर
2. सीताराम पुत्र श्री गोपाल राठौर

निवासीगण वार्ड नं. 15 पुरानी बस्तू
अनूपपुर तह व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

श्री मुकेश भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 20.1.16 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट 20-1-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 20-1-2016 एडवोकेट ग्वालियर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

बेलनिया बाई पत्नी उमादत्त राठौर पुत्री
नानदाऊ राठौर
निवासी ग्राम बर्री तह. व जिला अनूपपुर

...... अनावेदिका

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर तह. व जिला अनूपपुर द्वारा प्र.कं. 82अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.8.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :–

संक्षिप्त तथ्य –

1– यह कि, वादग्रस्त भूमि पुरानी बस्ती अनूपपुर तह. व जिला अनूपपुर में स्थित भूमि ख.नं. 1052 रकवा 0.206 हे. व 1054 रकवा 0.170 हे. भूमि के पूर्व *भूमिस्वामी आवेदकगण के बाबा मंडल एवं अनावेदिका के पिता नानदाऊ दोनों* सगे भाई थे भूमिस्वामी होने के प्रमाण खसरा पांचशाला वर्ष 89–90 से

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–1220–तीन / 2016 जिला– अनूपपुर

. शंकरप्रसाद राठौर व अन्य विरूद्ध बेलनिया बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
12–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर, जिला–अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 82 / अ–12 / 2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 29–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 12/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	